25.12.2020 पत्रावली पेश। भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त 12GB की रिपोर्ट प्राप्त। जिसे शामिल मिसल किया गया। भू. अ. नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ग्राम 20S8(B) को स्टेट हाईवे एवं कल्याणकोट रैल्वे स्टेशन से जोड़ने के लिये आवश्यक है। (बिंदु सं. 01, 02, रिपोर्ट भू. अ. नि.)। राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-क के तहत कोई अभिधारी अपनी जोत की सिंचाई प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या अपनी जोत तक पहुंचने के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग चाहता है तो वह ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष, गाँव 20S8B को स्टेट हाइवे एवं कल्याणकोट रैल्वे स्टेशन से जोड़ना, धारा 251-क के तहत नहीं दिया जा सकता। प्रा. पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार हो, दाखिल दफ्तर की जाए।

निर्णय आज दिनांक 25.12.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

उप जिला कलेक्टर

श्री विजयनगर